शासन विरूद्ध टीकाराम थुरिया Case No. 531/2022

Witness No.....03.........For ....अभियोजन.......... Diposition takan on ..15.05.2024.. the day .बुधवार ..Witness's apparent age.50 yrs States on affirmation .....शपथपूर्वक...my name is ......मिरी राम खुटे.. ...... S/o of....स्व० श्री छोटूराम खुटे...Occupation...प्रधान आरक्षक....... Address ....थाना–चौकी कनकबीरा , जिला–सारंगढ– बिलाईगढ (छ०ग०).....................

__Time : –11:00 To 11:20 P.M.__

1. मैं वर्ष जनवरी 2022 से वर्तमान तक थाना–चौकी कनकबीरा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ हूं ।

2. पदस्थापना दौरान दिनांक **16**/09/2022 को हमराह स्टॉफ के साथ माईनर एक्ट पतासाजी हेतु ग्राम अचानकपाली की ओर रवाना हुआ था । इस दौरान जरिये मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम– अचानकपाली का टीकाराम थुरिया अपने घर परछी में महुआ शराब ब्रिकी करने के लिए रखा है कि सूचना पर गवाह रामेश्वर प्रसाद चौहान व उत्तरा कुमार ख़डिया को तलब किया, धारा–**160** का नोटिस प्र०पी०–**1** है, जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । मुखबीर सूचना से अवगत कराकर हमराह स्टॉफ एवं गवाह को साथ लेकर कार्यवाही किया । मुखबीर पंचनामा प्र०पी०–**2** है, जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । जो अपने पास में एक लाल रंग के में **05** लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरीकेन में **03** लीटर कच्ची महुआ शराब में भरा हुआ को लाकर पेश किया ।

3. धारा–**91** का नोटिस दिया तो कागजात नहीं होना बताकर हस्ताक्षर किया । धारा–**91** का नोटिस प्र०पी०–**5** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । उक्त शराब को मुताबिक जप्ती पत्रक के समक्ष गवाहन रामेश्वर प्रसाद चौहान व उत्तरा कुमार ख़डिया के जप्त कर सीलबंद किया । जप्ती पत्रक प्र०पी०–**3** जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । आरोपी का कृत्य धारा–**34 (1)** (क) आबकारी एक्ट पाये जाने से दिनाँक **16/09/2022** के **17.40** बजे विधिवत गिरफ्तार किया। प्रकरण जमानतीय एवं आरोपी द्वारा सक्षम जमानतदार पेश करने पर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया । गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी०–**4** है, जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । मौका में घटना स्थल का नजरीनक्शा तैयार कर गवाहों का कथन लेखबद्ध किया गया । नजरीनक्शा प्र०पी०–**6** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे

हस्ताक्षर है ।

4. थाना में आरोपी टीकाराम थुरिया, पिता परमानंद थुरिया, उम्र–46 वर्ष, निवासी ग्राम–अचानकपाली के विरूद्ध में अपराध क्र०–409/2022, धारा–34 (1) (क) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया । प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी०–7 है, जिसके अ से अ एवं ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । जप्तशुदा शराब का आबकारी कार्यालय से रासायनिक परीक्षण करवाया, रिपोर्ट शामिल डायरी किया । शराब मुलाहिजा फॉर्म प्र०पी०–8 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । प्रकरण में विवेचना पूर्ण होने से आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र क्र०–330/2022 दिनाँक 22/09/2022 को तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया हूँ ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री एस० एस० चौहान अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त

5. यह कहना सही है कि कथित घटना दिनाँक को घटना स्थल में जाकर कार्यवाही किये थे, ऐसा कोई रोजनामचा सान्हा प्रकरण में संलग्न नहीं है । यह कहना गलत है कि गवाहों को कथित घटना स्थल में उपस्थित होने के लिए धारा–160 का नोटिस नहीं दिया था । यह कहना सही है कि कथित जप्त शुदा पदार्थ के एकल आधिपत्य के संबंध में कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं किया था । यह कहना गलत है कि आरोपी से मेरे द्वारा कोई पदार्थ जप्त नहीं हुआ था । यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा आरोपी को गिरफतार नही किया गया है ।

6. यह कहना सही है कि जप्तशुदा पदार्थ को परीक्षण के पूर्व सुरक्षित रखे जाने संबंधी कोई मालखाना का दस्तावेज प्रकरण में संलग्न नहीं किया हूँ । यह कहना सही है कि जप्तशुदा पदार्थ का पृथक से नमूना सीलबंद पंचनामा तैयार नहीं किया था । यह कहना गलत है कि थाना में बैठकर नजरीनक्शा मैंने तैयार कर दिया है । यह कहना गलत है कि मैंने गवाहों का बयान बढ़ा–चढ़ाकर अपने मन से लिख दिया है । यह कहना गलत है कि आज भी मैं आरोपी के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष असत्य कथन कर रहा हूँ ।

साक्षी को बयान पढ़कर सुनाया,
सही होना स्वीकार किया ।

SHEELU SINGH Digitally signed by SHEELU SINGH

(शीलू सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सारंगढ़ (छ०ग०)

मेरे निर्देश पर टंकित ।

SHEELU SINGH Digitally signed by SHEELU SINGH

(शीलू सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सारंगढ़ (छ०ग०)

साक्षी के हस्ताक्षर